



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22062020-220093
CG-MH-E-22062020-220093

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]
No. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2020/आषाढ 1, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2020/ASADHA 1, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22 जून, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
 - विनियम 164 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
“दबावग्रस्त आस्तियों (स्ट्रेस्ड असेट्स) वाली कंपनियों के शेयरों के अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के संबंध में कीमत-निर्धारण

164क. (1) बारंबार व्यापारित शेयरों के मामले में, अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के अनुसरण में आबंटित (अलॉट) किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कीमत सुसंगत तारीख से पहले के दो सप्ताहों के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित इक्विटी शेयरों की मात्रा भारत औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की उच्चतम और न्यूनतम साप्ताहिक कीमतों के औसत से कम नहीं होगी।

(2) इक्विटी शेयरों का कोई आबंटन (अलॉटमेंट) तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी निम्नलिखित मानदंडों में से किन्हीं दो मानदंडों को पूरा न कर ले:

क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 21 नवम्बर, 2019 के परिपत्र (सर्कुलर) के अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / प्रणालीगत रूप से (सिस्टमिकली) महत्वपूर्ण जमा (डिपॉजिट) न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / जमा (डिपॉजिट) लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिए गए उधारों पर और/या सूचीबद्ध (लिस्टिड) या असूचीगत (अनलिस्टिड) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) पर ब्याज अदा करने / उनके मूलधन की रकम की चुकौती करने के संबंध में की गई समस्त चूकों (डिफॉल्ट्स) को प्रकट (डिस्कलोज़) कर दिया हो, और इस प्रकार भुगतान के संबंध में की गई चूक कम से कम 90 कलेंडर दिनों की अवधि तक (चूक होने की तारीख के बाद) जारी रही हो;

ख) तारीख 7 जून, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश, 2019 [रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (प्रीडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेज़ोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स) डायरेक्शन्स, 2019] के अनुसार इंटर-क्रेडिट एग्रीमेंट किया गया हो;

ग) सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी की वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट्स) [फिर चाहे वे सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या असूचीगत (अनलिस्टिड)], क्रेडिट इन्स्ट्रूमेंट्स / उधारों [फिर चाहे वे सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या असूचीगत (अनलिस्टिड)] की क्रेडिट रेटिंग को घटाकर “डी” कर दिया गया हो।

(3) अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) लाने वाली निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी निम्नलिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी:

क) अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंस इश्यू) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लाया जाएगा जो बोर्ड की उस बैठक की तारीख तक की स्थिति के अनुसार संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा न हो, जिस बैठक में अधिमानी निर्गम लाए जाने पर विचार किया गया हो। अधिमानी निर्गम निम्नलिखित एंटीटियों के लिए नहीं लाया जाएगा:

(i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के अनुसार वह दिवालिया जो मुक्त न हुआ हो;

(ii) बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार जो ‘इरादतन चूककर्ता’ (जानबूझकर चूक करने वाला) हो;

(iii) ऐसा व्यक्ति हो जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनीज़ एक्ट, 2013) के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु अयोग्य पाया गया हो;

(iv) ऐसा व्यक्ति हो जिसे बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में सौदेबाजी (ट्रेडिंग) करने या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में पहुँच रखने से विवर्जित किया गया हो;

स्पष्टीकरण: मद (iv) के अंतर्गत लगाई गई पाबंदी वहाँ उल्लिखित उन व्यक्तियों या एंटीटियों के प्रति लागू नहीं होगी, जिन्हें बोर्ड द्वारा पहले कभी विवर्जित किया गया हो और विवर्जित किए जाने की अवधि बोर्ड की उस बैठक की तारीख तक की स्थिति के

अनुसार पहले ही पूरी हो चुकी हो, जिस बैठक में अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) लाए जाने पर विचार किया गया हो।

- (v) जो ऐसा व्यक्ति हो जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो;
- (vi) जो ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो जिसके दंडस्वरूप, -

क. ऐसे किसी अधिनियम (एक्ट) के तहत दो या दो से अधिक वर्षों के कारावास की सजा दी जा सकती हो, जिसका उल्लेख दिवाला और शोधन अधमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) की बारहवीं अनुसूची के तहत किया गया है

ख. उस समय लागू किसी कानूनी प्रावधान के तहत सात या सात से अधिक वर्षों के कारावास की सजा दी जा सकती हो:

परंतु यह कि ऐसी पाबंदी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसे कारावास से बरी किए जाने की तारीख के बाद से दो वर्षों की अवधि बीत चुकी हो।

- (vii) जो ऐसा व्यक्ति हो जिसने निर्गमकर्ता (इश्युअर) के उधारदाता के पक्ष में कोई गारंटी दी हो, और उधारदाता द्वारा ऐसी गारंटी को लागू करवा लिया गया हो तथा जिसके संबंध में या तो पूरा या कुछ हिस्से का भुगतान न किया गया हो।

(4) अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) और खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) से छूट के लिए पारित किए जाने वाले संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के संबंध में निम्नलिखित का प्रावधान होगा:

क) 'जनता' (पब्लिक) की श्रेणी के शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत, प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हों। अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) में प्रस्तावित जिस आबंटती (जिन आबंटितियों / अलॉटी) के पास पहले से ही निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) हों, उन्हें इस प्रयोजनार्थ 'जनता' (पब्लिक) की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ कंपनी का ऐसा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) न हो जिसकी पहचान हो सके, तो ऐसे में संकल्प तब पारित हुआ समझा जाएगा, जब उसके पक्ष में डाले गए मत उसके खिलाफ डाले गए मतों (यदि कोई हों) की संख्या के कम से कम तीन गुना हों।

(5) ऐसे अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) से आए पैसे (प्रोसीड्स) का उपयोग संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स)/संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप)/समूह (ग्रुप) कंपनियों से लिए गए उधारों को चुकाने के लिए नहीं किया जाएगा। पैसे के प्रस्तावित उपयोग का जिक्र शेयरधारक के संकल्प के प्रयोजनार्थ भिजवाए गए व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में किया जाएगा।

(6) क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम (इश्यू) से आए पैसे (प्रोसीड्स) के उपयोग का अनुश्रवण (की मॉनीटरिंग/निगरानी) लोक वित्तीय संस्था (पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन) या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक [जो निर्गमकर्ता का संबद्ध पक्षकार (रिलेटेड पार्टी) न हो] से करवाए जाने की व्यवस्था करेगा:

(i) अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) को अपनी रिपोर्ट अनुसूची-XI के अनुसार निर्धारित किए गए फॉर्मेट (जो खाने लागू हों, वे भरकर) में तिमाही आधार पर तब तक प्रस्तुत करती रहेगी, जब तक निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) के कम से कम पचानवे प्रतिशत का उपयोग न कर लिया जाए।

(ii) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का निदेशक-मंडल और प्रबंध-मंडल अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी के निष्कर्षों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ देगा, जैसा अनुसूची-XI में उल्लेख किया गया है।

(iii) निर्गमकर्ता (इश्युअर), प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक रूप से प्रसारित करेगा और साथ ही उसे उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास भी प्रस्तुत करेगा जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

ख) निर्गम से आए पैसों (इश्यू प्रोसीड्स) का अनुश्रवण (की मॉनीटरिंग / निगरानी) तब तक लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) द्वारा भी की जाती रहेगी, जब तक कि उनका उपयोग न कर लिया जाए।

(7) किया गया आबंटन (अलॉटमेंट) ट्रेडिंग के संबंध में मिली मंजूरी की अंतिम तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक रुद्ध (लॉक-इन) रहेगा।

(8) कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) और लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) यह प्रमाणित करेगी कि विनियम 164क के उप-विनियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) के तहत दी हुई सभी शर्तें विशेष संकल्प पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित साधारण बैठक की सूचना (नोटिस) भिजवाए जाने के समय और आबंटन (अलॉटमेंट) किए जाने के समय पूरी कर ली गई हैं।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./ 79/2020-21]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
 - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
 - (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/08, द्वारा
 - (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/29, द्वारा
 - (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/35, द्वारा
 - (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2019/42, द्वारा

- (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/47, द्वारा
- (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2020/01, द्वारा
- (झ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा
- (ञ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd June, 2020

Securities And Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018,-
 - I. After regulation 164 the following new regulation shall be inserted, namely, -

“Pricing in preferential issue of shares of companies having stressed assets

164A. (1) In case of frequently traded shares, the price of the equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue shall not be less than the average of the weekly high and low of the volume weighted average price of the related equity shares quoted on a recognised stock exchange during the two weeks preceding the relevant date.

(2) No allotment of equity shares shall be made unless the issuer company meets any two of the following criteria:

- a) the issuer has disclosed all the defaults relating to the payment of interest/ repayment of principal amount on loans from banks / financial institutions/ Systemically Important Non-Deposit taking Non-banking financial companies/ Deposit taking Non-banking financial companies and /or listed or unlisted debt securities in terms of SEBI Circular dated November 21, 2019 and such payment default is continuing for a period of at least 90 calendar days after the occurrence of such default;
- b) there is an Inter-creditor agreement in terms of Reserve Bank of India (Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets) Directions 2019 dated June 07, 2019;
- c) the credit rating of the financial instruments (listed or unlisted), credit instruments / borrowings (listed or unlisted) of the listed company has been downgraded to “D”.

(3) The issuer company making the preferential issue shall ensure compliance with the following conditions:

- a) The preference issue shall be made to a person not part of the promoter or promoter group as on the date of the board meeting to consider the preferential issue. The preference issue shall not be made to the following entities:
- (i) undischarged insolvent in terms of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
 - (ii) 'wilful defaulter' as per the guidelines of the Reserve Bank of India issued under the Banking Regulation Act, 1949;
 - (iii) a person disqualified to act as a director under the Companies Act, 2013;
 - (iv) a person debarred from trading in securities or accessing the securities market by the Board;
- Explanation: The restriction under (iv) shall not apply to the persons or entities mentioned therein who were debarred in the past by the Board and the period of debarment is already over as on the date of the board meeting considering the preferential issue.
- (v) a person declared as a fugitive economic offender;
 - (vi) a person who has been convicted for any offence punishable with imprisonment-
 - A. For two years or more under any Act specified under the Twelfth Schedule of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
 - B. For seven years or more under any law for the time being in force:

Provided that such restriction shall not be applicable to a person after the expiry of a period two years from the date of his release from imprisonment.
 - (vii) A person who has executed a guarantee in favour of a lender of the issuer and such guarantee has been invoked by the lender and remains unpaid in full or part.
- (4) The resolution for the preferential issue and exemption from open offer shall provide for the following:
- a) The votes cast by the shareholders in the 'public' category in favour of the proposal shall be more than the number of votes cast against it. The proposed allottee(s) in the preferential issue that already hold specified securities shall not be included in the category of 'public' for this purpose.

Provided that where the company does not have an identifiable promoter; the resolution shall be deemed to have been passed if the votes cast in favour are not less than three times the number of the votes, if any, cast against it.
- (5) The proceeds of such preferential issue shall not be used for any repayment of loans taken from promoters/ promoter group/ group companies. The proposed use of proceeds shall be disclosed in the explanatory statement sent for the purpose of the shareholder resolution.
- (6) a) The issuer shall make arrangements for monitoring the use of proceeds of the issue by a public financial institution or by a scheduled commercial bank, which is not a related party to the issuer:
- (i) The monitoring agency shall submit its report to the issuer in the format specified in terms of Schedule XI (with fields as applicable) on a quarterly basis until atleast ninety five percent of the proceeds of the issue have been utilized.
 - (ii) The board of directors and the management of the issuer shall provide their comments on the findings of the monitoring agency as specified in Schedule XI.
 - (iii) The issuer shall, within forty five days from the end of each quarter, publicly disseminate the report of the monitoring agency by uploading the same on its website as well as submit the same to the stock exchange(s) on which the equity shares of the issuer are listed.
- b) The proceeds of the issue shall also be monitored by the Audit Committee till utilization of the proceeds.
- (7) The allotment made shall be locked-in for a period of three years from the last date of trading approval.
- (8) The statutory auditor and the audit committee shall certify that all conditions under sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) of regulation 164A are met at the time of dispatch of notice for general meeting proposed for passing the special resolution and at the time of allotment."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Etxy./79/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/ 2019/05.
 - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD NRO/GN/ 2019/08.
 - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/29.
 - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/35.
 - (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
 - (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
 - (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
 - (i) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
 - (j) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.